प्रकरण संख्या 05/2020 रामा व अन्य बनाम रामा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता वालिया के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की खाता संख्या नया 293 पुरान 233 की आराजी नंबर 612/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नंबर 618 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नंबर 619 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम छोटी सरवन में स्थित है, जो मेरे पिता ने नोतोड़ निकाली तथा अपने जीवनकाल में खेती करते रहे एवं उनकी मृत्यु पश्चात वादी काबिज चला आ रहा है। जमाबन्दी संख्या 2027 से 2037 तक वादी के पिता का नाम दर्ज रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता अमरिया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 18.12.1978 को अपने नाम खुलवा लिया, जबकि कब्जा आज भी वादी का ही चला आ रहा है। अतः वादी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वार तनकियां कायम की गयी तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 30.01.2020 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 13.08.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भालचन्द नागर उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

23.02.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मौके पर आये एवं झगड़ा करते हुए कहा कि कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला हो चुका है, तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि वादी/रेस्पोडेन्ट अपना वाद साबित कराने में पूरी तरह असफल रहा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का विवेचन वादी के पक्ष में करने में भारी भूल की है, क्योंकि वादी खेत नोतोड़ निकालना बताया है, जबकि इस संबंध में जो प्रदर्श 3 व 4 प्रस्तुत किये हैं, उससे खेत नोतोड़ निकालने की बात साबित नहीं होती है। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 व 3 भी वादी साबित कराने में असफल रहा है। तनकी नंबर 4 व 5 जिसे साबित कराने का भार प्रतिवादी/अपीलान्ट पर था, प्रतिवादीगण द्वारा बखूबी साबित कराया गया है, फिर भी उक्त तनकियां प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 अनुसार विवादित आराजी नंबर 612/2 रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा, आराजी नंबर 618 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नंबर 619

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वालिया पिता रूपा चमार के खातेदारी में दर्ज है। इस जमाबन्दी की कैफियत में नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 18.12.1978 से अमरिया पिता रतना व गोतिया पिता रूपा के नाम स्वीकृत होने का इन्द्राज है, जिसके आधार पर प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2043 से 2046 से उक्त आराजियात अमरिया व गोतिया के नाम 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज है। अपीलान्ट/प्रतिवादी का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण अन्य भूमि के बंटवारे के तहत खुला था, जबकि यह नामान्तरकरण धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत था। यद्यपि वादी द्वारा तत्समय उक्त नामान्तरकरण एवं धारा 136 के तहत अपील की जानी चाहिए थी। यहां दावा रेस्पोन्डेन्ट/वादी द्वारा धारा 88 के तहत लाया गया है एवं खातेदारी अधिकार उत्तराधिकार के सृजन होने के आधार पर घोषणा की दाद चाही गयी है। पूर्व में भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट के पिता के खातेदारी में दर्ज थी, यह तथ्य जमाबन्दी से प्रमाणित है। प्रतिवादी/अपीलान्ट को यह सिद्ध करना था कि नामान्तकरण बंटवारे या अन्य भूमि के आधार पर दर्ज हुआ है, परन्तु इसका न तो दावे में एवं न ही दौराने अपील कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि जो पूर्व में वादी/रेस्पोडेन्ट के पिता वालिया के खातेदारी में दर्ज थी, प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के नाम किस प्रकार आयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियां कायम कर, दस्तावेजी साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उनका विश्लेषण करते हुए वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री किया है, जो युक्ति–युक्त निर्णय होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 12/2013 निर्णय एवं डिक्री 30.01.2020 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

कीर्ति राठौड़
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

रामा पिता अमरिया जी चमार, निवासी गांव छोटो सरवन, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**रामा पिता वालिया जी चमार, निवासी गांव छोटो सरवन, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.......**05/2020**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.......**छोटी सरवन**... मुकाम............मुवर्खे.......**30**...........माह..........**01**..........**2020**..............

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**29**....माह......**08**..........सन् **2025** रूबरू..........**पक्षकारान** व हाजरी.........**श्री जयेन्द्र पुरोहित**........मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री भालचन्द नागर**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 12/2013 निर्णय एवं डिकी 30–01–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)....रूपये...... **X**........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का...................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**29**.......माह.......**08**..........**2025**........ को जारी किया गया।

29.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन को [illegible] जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested